

**अनुदान संख्या 29 – आर्थिक कार्य विभाग**  
**GRANT No. 29 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	4649,12,00			
			5719,01,00	5165,82,31	-553,18,69
पूरक	Supplementary	1069,89,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				538,50,19
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital :</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	94900,41,00			
			97542,09,00	42568,24,41	-54973,84,59
पूरक	Supplementary	2641,68,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				54823,03,25

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹55318.69 लाख) जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹106989.00 लाख के पूरक अनुदान का 52 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹55318.69 lakhs) constituted 52 percent of the supplementary grants of ₹106989.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and constituted 10 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय — सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	15659.00			
पू.	S.	3.00	16721.21	15959.96	-761.25
पु.	R.	1059.21			
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	1620.00			
पू.	S.	1.00	1160.76	1064.97	-95.79
पु.	R.	-460.24			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य-प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	2084.00			
			1246.09	1161.17	-84.92
पु.	R.	-837.91			
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थान	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	12580.00			
			12032.39	12032.38	-0.01
पु.	R.	-547.61			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	150811.00			
पू.	S.	23077.00	213253.44	212731.03	-522.41
पु.	R.	39365.44			

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with other countries				
मू.	O.	208955.00			
पू.	S.	1.00	116744.28	116740.84	-3.44
पु.	R.	-92211.72			

(I) ₹2295.00 लाख का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें ₹1500.00 लाख की बचत अकेले मुख्य शीर्ष "3475" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग—अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग" के अंतर्गत करार संपन्न नहीं होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹2295.00 lakhs remained wholly unutilized under nineteen heads; of these ₹1500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3475"- "International Cooperation – Technical Co-operation with African Development Bank" – due to non-execution of agreement.

(II) मुख्य शीर्ष "2047" – "छोटी बचतों को बढ़ावा—राष्ट्रीय बचत संस्थान" – ₹538.13 लाख की बचत (₹1578.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरने, विज्ञापन और प्रचार, दौरे करने, प्रकाशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए संस्थान की चल रही पुनर्संरचना के कारण कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2047" – "Promotion of Small Savings – National Savings Institute" – saving of ₹538.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1578.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards advertising and publicity, tours undertaken, Publications, medical re-imburement, Information technology and other establishment related expenditure owing to ongoing restructuring of the Institute.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – "निदेशन और प्रशासन—सुरक्षा अपील अधिकरण" – ₹922.83 लाख की बचत (₹2084.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरने, कार्यालय परिसर का पुनरुद्धार शुरू नहीं होने, किराया, छुट्टी यात्रा रियारत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और दौरे करने पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2070" – "Direction and Administration – Security Appellate Tribunal" - saving of ₹922.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2084.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-commencement of renovation of office premises and requirement of less funds towards rent, leave travel concession, medical re-imburement and tours undertaken.

(IV) मुख्य शीर्ष "2416" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि को अंशदान" – ₹547.62 लाख की बचत (₹12580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में अंतर के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3475" बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(का) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास के लिए सहायता – व्यवहार्य अंतर वित्त पोषण" – ₹21023.00 लाख की बचत (₹24000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं के संशोधित आकलन के कारण परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "स्वर्ण विमुद्रीकरण योजना 2015 के लिए कमीशन – कमीशन की अदायगी" – ₹3044.34 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण कम स्वर्ण जमा होने के कारण हुई।

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि को अंशदान" – ₹527.45 लाख की बचत (₹5740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में अंतर के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय – भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण" – ₹2734.04 लाख की बचत (₹3015.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड –19 महामारी के कारण प्रशिक्षण में देरी, अधिकारियों द्वारा देर से कार्य भार ग्रहण करने और विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिबंध के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अधीन हुईं:

(IV) Under Major Head "2416" – "International Co-operation – Contribution to International Fund for Agriculture Development (IFAD)" - saving of ₹547.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12580.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(V) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Financial Support for Infrastructure Development – Assistance for Infrastructure Development - Viability Gap Funding" - saving of ₹21023.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by project authorities owing to revised assessment of projects.

(B) "Commission for Gold Monetization Scheme, 2015 – Commission Payment" – saving of ₹3044.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was due to deposit of less gold owing to COVID-19 pandemic.

(C) "International Co-operation – Contribution to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (GFATM)" – saving of ₹527.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5740.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(D) "Other Expenditure – Training of Indian Economic Service Officers" - saving of ₹2734.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3015.00 lakhs) was due to delay in trainings, late joining of Officers and restrictions on foreign training programmes owing to COVID-19 pandemic.

(VI) Under Major Head "3605" - "Cooperation with other countries" - savings occurred under the following heads:-

(का) "भारतीय एक्सिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता" – ₹89790.15 लाख की बचत (₹157601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उधारग्राही सरकारों को उन देशों में कोविड-19 से जुड़े उपाय करने के लिए अपेक्षाकृत धीमा संवितरण के कारण कम दावे प्राप्त होने और विनिमय दर में अंतर के कारण हुई।

(खा) "भारतीय कम्पनियों को ब्याज समकरण सहायता" – ₹5405.30 लाख की बचत (₹22500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उधारग्राही सरकारों को उन देशों में कोविड –19 उपाय करने के लिए अपेक्षाकृत धीमा संवितरण होने से हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत हुई ₹406.17 लाख की बचत स्वीकृत प्रावधान की 88 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹73220.24 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹23080.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया था:-

(I) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय-आर्थिक कार्य विभाग" – ₹1748.45 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1084.31 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष "3475" –

(का) "आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण-स्वर्ण आरक्षित निधि" – ₹59674.75 लाख।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग- टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण के लिए वैश्विक संगठन को अंशदान" – ₹2027.34 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2026.84 लाख था।

(गा) "अन्य व्यय-सहायता अनुदान – सामान्य" – ₹6105.20 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6104.89 लाख था।

(A) "Interest Equalisation support to Exim Bank of India" - saving of ₹89790.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹157601.00 lakhs) was due to receipt of less claims owing to slower disbursements to borrower Governments due to COVID-19 associated measures in those countries, decrease in LIBOR and exchange rate variation.

(B) "Interest Equalisation support for Indian Companies" – saving of ₹5405.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22500.00 lakhs) was due to slower disbursements to borrower Governments owing to COVID-19 associated measures in that country.

(VII) Under one head saving of ₹406.17 lakhs occurred constituting 88 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹73220.24 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹23080.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "2052" – "Secretariat – Department of Economic Affairs" – ₹1748.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹1084.31 lakhs.

(II) Major Head "3475" -

(A) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Gold Reserve Fund" – ₹59674.75 lakhs.

(B) "International Co-operation - Contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI)" – ₹2027.34 lakhs. Actual excess, however, was ₹2026.84 lakhs.

(C) "Other expenditure - Grant-in-aid-General" – ₹6105.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹6104.89 lakhs.

(III) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग—एक्सिम बैंक को लंबे समय से देय पुराने ब्याज की अदायगी" – ₹3664.50 लाख।

3. अनुदान के पूंजीगत खंड में समग्र बचतें (₹5497384.59 लाख) जुलाई, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹264168.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:

(III) Under Major Head "3605" – "Cooperation with other countries - Payment of chronic interest overdues to Exim bank" – ₹3664.50 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹5497384.59 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹264168.00 lakhs obtained in July, 2021 and March, 2022 and constituted 56 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4046" मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4046" Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint			
मू.	O.	401800.00		
पु.	R.	-229475.73		
		172324.27	163229.90	-9094.37
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	2000.00		
पु.	R.	-1980.69		
		19.31	19.31	..
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	Major Head "5465" Investments in General Financial and Trading Institutions			
मू.	O.	1075001.00		
पु.	R.	-657614.06		
		417386.94	416507.08	-879.86

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "5466"	Major Head "5466"			
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investments in International Financial Institutions			
मू.	O.	449561.00		
पू.	S.	264168.00	697385.07	696840.36
पु.	R.	-16343.93		-544.71
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services			
मू.	O.	4472465.00		
पु.	R.	-4472464.00	1.00	..
				-1.00
मुख्य शीर्ष "7465"	Major Head "7465"			
सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं को ऋण	Loans for General Financial and Trading Institutions			
मू.	O.	3434.00		
पु.	R.	-547.30	2886.70	2886.68
				-0.02
मुख्य शीर्ष "7475"	Major Head "7475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	Loans for Other General Economic Services			
मू.	O.	100000.00		
पु.	R.	-100000.00	..	..
				..
मुख्य शीर्ष "7610"	Major Head "7610"			
सरकारी सेवकों को ऋण आदि	Loans to Government Servants etc.			
मू.	O.	25000.00		
पु.	R.	-3740.25	21259.75	16698.38
				-4561.37

(I) ₹4589569.00 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹4589264.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष "5466" – "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष—अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान) (भारत का कोटा बढ़ाये जाने की तुलना में एसडीआर की खरीद)" – ₹16800.00 लाख – सरकार के पास उपलब्ध विशेष आहरण अधिकारों के शेयरों की प्राप्ति का उपयोग करने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "5475" –

(क) "अवसंरचना विकास के लिए सहायता – अवसंरचना विकास के लिए सहायता—व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण"— ₹1000.00 लाख – परियोजना प्रायोजक प्राधिकारियों से व्यवहार्य प्रस्ताप प्राप्त न होने के कारण।

(ख) "अन्य व्यय – अवसंरचना पाइपलाइन के लिए सहायता" – ₹4471464.00 लाख – केंद्रीयकृत प्रावधान के बजाय नियमित पूरक अनुदान मांगों के माध्यम से पूंजीगत व्यय में अच्छी प्रगति दर्शाने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को निधि आवंटन के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "7475" – "अन्य ऋण—उधार की अन्य व्यवस्थाओं के अधीन आईएमएफ को ऋण" – ₹100000.00 लाख –अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि/सदस्य देशों से मांग प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "4046"—निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:

(I) Provision of ₹4589569.00 lakhs remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹4589264.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "5466" - "International Monetary Fund – Subscription to International Monetary Fund (SDR purchase against India's quota increase)" - ₹16800.00 lakhs – due to using the receipt of shares of Special Drawing Rights which were available with the Government.

(B) Major Head "5475" –

(a) "Financial Support for Infrastructure Development – Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding" – ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from Project Sponsoring Authorities.

(b) "Other Expenditure –Support for Infrastructure Pipeline" – ₹4471464.00 lakhs - due to allocation of funds to the various Department/Ministries showing good progress in Capital expenditure through regular Supplementary Demands for Grants instead of centralised provision.

(C) Major Head "7475" –"Other Loans - Loans to IMF under New Arrangements to Borrow (NAB)" – ₹100000.00 lakhs - due to non-receipt of demand from International Monetary Fund/ Member Countries.

(II) Under Major Head "4046" – savings occurred under the following heads:-

(का) "स्वर्ण खरीद-स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015" - ₹109094.36 लाख की बचत (₹250000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण कम स्वर्ण जमा होने के कारण हुई।

(खा) "भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद - सिक्के" के अंतर्गत - ₹129475.74 लाख की बचत (₹151800.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्कों की मांग में कमी और सिक्कों के उचित बिक्री मूल्य को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - अन्य आवास - आईईएस अधिकारियों के लिए 90 रिहाइशी यूनिटों का निर्माण" के अंतर्गत - ₹1980.69 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य को अगले वित्तीय वर्ष तक स्थगित करने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "5465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - बचतें निम्नलिखित क्षेत्रों में हुई:-

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश":

(क) "राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश"- ₹376307.04 लाख की बचत (₹500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मात्रा में निवेशों को मूर्त रूप देने के कारण हुई।

(ख) "वहनीय और मध्यम आय आवासन के लिए विशेष विंडो"-₹125878.84 लाख की बचत (₹225000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यकलापों में कमी के कारण पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता और कुछ निवेशों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण हुई।

(A) "Purchase of Gold-Gold Monetization Scheme 2015" - saving of ₹109094.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250000.00 lakhs) was due to deposit of less gold owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Purchase of Coins from Security Printing & Minting Corporation of India Limited - Coins" - saving of ₹129475.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹151800.00 lakhs) was due to decrease in indent of coins by Reserve Bank of India and non-finalization of the fair selling prices of coins.

(III) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction of 90 dwelling units for IES officers" - saving of ₹1980.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to postponement of construction work to next financial year.

(IV) Under Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - savings occurred under the following heads:-

(A) "Investments in Public Sector and Other Undertakings, Banks, etc." -

(a) "Investment into National Investment and Infrastructure Fund" - saving of ₹376307.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500000.00 lakhs) was due to less materialization of investments.

(b) "Special Window for Affordable and Middle-Income Housing" - saving of ₹125878.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹225000.00 lakhs) was due to less requirement of funds by portfolio companies owing to decrease in construction activity due to COVID-19 pandemic and non-materialization of some investments.

(ग) "एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्त पोषण प्लेटफार्म में पूंजी प्रवाह" – ₹30000.00 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मात्रा में निवेशों को मूर्त रूप दिए जाने के कारण हुई।

(c) "Capital Infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform" – saving of ₹30000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to less materialization of investments.

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण-राष्ट्रीय निवेश निधि" – ₹126307.04 लाख की बचत (₹250000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि संबंधित निवेशों का उपयोग नहीं होने के परिणामी प्रभाव के कारण हुई।

(B) "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts – National Investment Fund" – saving of ₹126307.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250000.00 lakhs) was due to consequential effect of non-utilisation of funds with respect to National Investment and Infrastructure Fund.

(V) मुख्य शीर्ष "5466" – "अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में निवेश-सामान्य पूंजी वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान" – ₹2507.25 लाख की बचत (₹36518.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) Under Major Head "5466" – "Investment in International Finance Corporation – Payment to International Finance Corporation towards General Capital Increase (GCI)" - saving of ₹2507.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36518.00 lakhs); and

(VI) मुख्य शीर्ष "7465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएँ-ऋण संख्या 1871-आईएनडी निजी क्षेत्र अवसंरचना सुविधा II की अदायगी – एशियाई विकास बैंक को अवसंरचना लीजिंग और वित्तीय सुविधाएँ – ₹526.39 लाख की बचत (₹3124.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(VI) Under Major Head "7465" – "General Financial Institutions – Repayment of Loan No. 1871-IND Private sector Infrastructure Facility II-Infrastructure Leasing & Financial Services to Asian Development Bank" - saving of ₹526.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3124.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विनिमय दर में अंतर के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to exchange rate variation.

(VII) मुख्य शीर्ष "7610" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(VII) Under Major Head "7610" – savings occurred under the following heads:-

(का) "आवास भवन अग्रिम-मंत्रालय और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" – ₹6456.66 लाख की बचत (₹17500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "House Building Advances– Ministries & Union Territory Administrations" - saving of ₹6456.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17500.00 lakhs); and

(खा) "कंप्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम-कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों आदि की खरीद के लिए अग्रिम" – ₹1822.23 लाख की बचत (₹7476.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Advances for purchase of Computers – Advances for purchase of Computers and other peripherals etc." - saving of ₹1822.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7476.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत ऋण संवितरण के लिए कम आवेदन प्राप्त होने के कारण कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2685.25 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5466" – "विश्व बैंक – ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) नए विकास बैंक को अंशदान" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

#### 5. निर्भया निधि:-

'निर्भया निधि' की स्थापना वर्ष 2013-14 में उन स्थायी उपायों/बचावों के वित्तपोषण के लिए की गई थी जिनसे महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में व्यापक वृद्धि होती है और जो दीर्घकालिक और प्रभावी होते हैं। इस निधि का उद्देश्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण तथा सुरक्षा और बचाव हेतु विभिन्न उपायों के लिए वित्त व्यवस्था करना है। निधियां बजट प्रावधान के अनुसार भारत की समेकित निधि के राजस्व व्यय शीर्ष से स्थानांतरित की जाएंगी। 'निर्भया निधि को अंतरण' के लिए बजटीय प्रावधान उन संबंधित अनुदान मांगों से किया जाएगा जिनमें व्यय आबंटन किया गया है।

वर्ष 2021-22 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था:-

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds owing to receipt of less applications for disbursement of loans.

4. The above savings were partly (₹2685.25 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "5466" – "World Bank – Subscription to Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) New Development Bank (NBD)".

#### 5. *Nirbhaya Fund*: -

The 'Nirbhaya Fund' was established during 2013-14 to be used to fund those enduring measures/interventions which substantially enhance the safety and security of women and are sustainable and effective over a long period of time. The purpose of the fund is to finance various initiatives taken by different Ministries/Departments of the Government towards empowering girl children and women ensuring their safety and security. Funds will be transferred as per budget provisions from the Revenue Expenditure head from the Consolidated Fund of India. The budgetary allocations for 'transfer of the Nirbhaya Fund' will be made from the respective Demands for Grants where expenditure allocations are made.

*The Account of the Fund for the year 2021-22 was as follows:*

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	1956,28,64
प्राप्तियां	Receipts	600,00,00
अदायगियां	Payments	312,07,22
अंतशेष	Closing Balance	2244,21,42

### 6. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि:-

‘राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि’ की स्थापना स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान से संबंधित विभिन्न नई परियोजनाओं आदि को वित्त पोषण करने के लिए की गई थी। ‘राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि’ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में उत्पादित कोयले पर ऊर्जा उपकर नाम की लेवी लगाने का प्रस्ताव किया गया। इसे दिनांक 22.06.2010 को गजट अधिसूचना संख्या 06-2020-स्वच्छ ऊर्जा उपकर में अधिसूचित किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की इस प्रस्तावित लेवी को कर राजस्व के रूप में वसूल किया जाना है और इस प्रकार सृजित हुई निधियों को आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। चिन्हित स्कीमों/नई परियोजनाओं पर व्यय का प्रावधान कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान की मांग में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूलियां भी उसी कार्यात्मक व्यय शीर्ष के अंतर्गत की जाएंगी ताकि स्कीमों पर व्यय और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूली का मिलान हो सके।

वर्ष 2021-22 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था:-

### 6. National Clean Energy Fund: -

The ‘National Clean Energy Fund’ was established to finance various new projects relating to researches in Clean Energy etc. In order to meet the objectives of ‘National Clean Energy Fund’ a levy called Energy Cess on coal produced in India was proposed. This was notified in Gazette Notification No. 06-2010 – Clean Energy Cess dt. 22.06.2010. The proposed levy of Clean Energy Cess is to be collected in the form of Tax Revenue and the funds so generated will be transferred to Reserve Fund. The provision for expenditure on identified schemes/new projects will be made in Demand for Grants of different Ministries/ Departments under the functional Major Heads. The recoveries from the National Clean Energy Fund will also be made under the same functional expenditure head so the expenditure on the schemes and recovery from National Clean Energy Fund get matched.

The Account of the Fund for the year 2021-22 was as follows:

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	1
प्राप्तियां	Receipts	-1
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	शून्य NIL

### 7. गारंटी मोचन निधि:—

इस निधि की स्थापना संघ सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं आदि को दी गई गारंटी, जब भी ऐसे गारंटी मांगी जाती है, के मोचन के लिए की गई थी। इस निधि को वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले वार्षिक आबंटन द्वारा धन मुहैया कराया जाता है। जब गारंटी मांगी जाती है तो इस प्रकार के व्यय को संबंधित अनुदान से संबंधित ऋण शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है और निधि से वसूली भी ऋण शीर्ष के अंतर्गत ऋण प्रविष्टियों के रूप में लेखाबद्ध की जाएगी।

वर्ष 2021-22 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था:—

### 7. *Guarantee Redemption Fund: -*

The fund was constituted for redemption of Guarantees given by the Union Government to Central Public Sector Undertakings, Financial Institutions etc., whenever such guarantees are invoked. The fund is fed by annual allocation to be made by Ministry of Finance. When the Guarantees are invoked, such expenditure may be shown under the concerned loan head of respective grant and recovery from the fund will also be accounted for under the loan head as deduct entry.

*The Account of the Fund for the year 2021-22 was as follows:-*

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	6829,96,00
प्राप्तियां	Receipts	939,07,00
अदायगियां	Payments	147,24,00
अंतशेष	Closing Balance	7621,79,00